

प्रेस नोट

थाना- तहबरपुर

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 20.01.2024 को थाना तहबरपुर पर वादिनी मुकदमा लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी (टीकापुर प्रधानपति) अटल यादव पुत्र कबीर यादव द्वारा वादिनी/पीडिता का 10 महीने का पेमेंट रोककर रखे है माँगने पर नहीं दिया जाता था, दिनांक 18.01.2024 को शाम करीब 5 बजे पीडिता शौचालय में थी तभी विपक्षी अटल यादव शौचाल में घुसकर छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, मना करने पर गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 19/2024 धारा 354,452,323,504,506 भादवि विरूद्ध 1. अटल यादव पुत्र कबीर यादव, 2. संजय यादव पुत्र गुलाब यादव निवासीगण ग्राम टीकापुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना थानाध्यक्ष मधुपनिका द्वारा संपादित की जा रही है। तथा 164 सीआरपीसी के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि की बढ़ोतरी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 30/03/2024 को व0उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अटल कुमार यादव पुत्र कबीर यादव, निवासी ग्राम टीकापुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को खुद के भाई की दुकान टीकापुर मोड़ के पास से समय 12.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 19/2024 धारा 354,452,323,504,506,376 भादवि थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-अटल कुमार यादव पुत्र कबीर यादव, निवासी ग्राम टीकापुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 41/2017 धारा 504,506 भादवि व 3/5 लो0स0क्षति नि0अधि0 थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 285/2021 धारा 429 भादवि व 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 3/11 पशुकूरता अधि0 थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर

3. मु0अ0सं0 210/2022 धारा 31 उ0प्र0 गैगैस्टर एक्ट थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर

4. मु0अ0सं0 19/2024 धारा 354,452,323,504,506,376 भादवि थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1-व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

2- का0 अजय राय, का0 गौरव यादव, का0 रत्नेश सिंह, म0का0 साधना सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 29/03/2024 को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान भटौली इब्राहिमपुर कुरहंस मोड़ काली माता मंदिर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसने अपना नाम नवीन सिंह पुत्र स्व त्रिवेणी सिंह निवासी भटौली इब्राहिमपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र-33 वर्ष बताया तथा उसके कब्जे से एक तमंचा .315 बोर एक कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 08:33 बजे रात्रि में पुलिस हिरासत में लिया गया बरामदगी /गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 122/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- नवीन सिंह पुत्र स्व त्रिवेणी सिंह निवासी भटौली इब्राहिमपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:- एक तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 120/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 493/2011 धारा 323/504/506 भादवि व 31XSC/ST ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 181/2017 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़

थाना मुबारकपुर

मोटर साइकिल चोरी की घटना का 24 घण्टे के अन्दर अनावरण करते हुए चोरी गये मोटर साइकिल, तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 29.03.2024 को वादी मुकदमा सुहेल पुत्र मो0 अमीन निवासी मोहल्ला पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ ने लिखित तहरीर दिया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी मुकदमा की मोटर साइकिल UP50BQ 7077 HF DELUX को वादी के घर के पास से चोरी किया गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 122/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना व0उ0नि0 श्री सुरेश सिंह यादव को सुपुर्द की गयी।

मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान अभियुक्त मोहम्मद आमिर पुत्र कमालुद्दीन निवासी सिकठी शाह मोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश में आया है। जिसके क्रम में-

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 30.03.2024 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मद आमिर पुत्र कमालुद्दीन निवासी सिकठी शाह मोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ ग्राम इस्लामपुर जामिया मोड़ के पास से समय करीब 07.10 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 123/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त:- मोहम्मद आमिर पुत्र कमालुद्दीन निवासी सिकठी शाह मोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवरण:-

1- एक मोटर साइकिल HF DELUX UP50BQ 7077

2- एक तमंचा .315 बोर व 01 कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 122/2024 धारा 379/411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

2. मु0अ0सं0 123/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

3. मु0अ0सं0 441/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ

4. मु0अ0सं0 289/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

5. 292/2022 धारा 411/413/419/420/467 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

6. मु0अ0सं0 21/2020 धारा 379/411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

7. मु0अ0सं0 390/2016 धारा 379/411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम – प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार, हे0का0 प्रमोद यादव, हे0का0 रविन्द्र सिंह, का0 राहुल सिंह, का0 नन्दलाल चौहान, का0 शैलेश कुमार यादव, महिला आरक्षी शिवानी सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

थाना- मुबारकपुर

किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 17.03.2024 को एक महिला ने थाना मुबारकपुर पर लिखित तहरीर दिया कि द्वारा विपक्षी प्रमोद कुमार पुत्र नन्दराम निवासी ग्राम टड़ियाखन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 108/2024 धारा 363/366 भादवि बनाम अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र नन्दराम निवासी ग्राम टड़ियाखन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 नन्दलाल प्रसाद द्वारा सम्पादित की जा रही है।

बरामदगी पीड़िता:- मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नाबालिग पीड़िता को दिनांक 19.03.2024 को बरामदगी की गयी। पीड़िता के धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान व मेडिकल रिपोर्ट तथा धारा 164 के बयान के परिणाम स्वरूप मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए अग्रिम विवेचना धारा 363/366/376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट मे प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 30.03.2024 को उ0नि0 नन्दलाल प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तमोद कुमार पुत्र नन्दराम निवासी ग्राम टड़ियाखन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को अमिलो बाजार चकिया मोड़ के पास से समय करीब 11.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 108/2024 धारा 363/366/376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ
गिरफ्तार अभियुक्त:- प्रमोद कुमार पुत्र नन्दराम निवासी ग्राम टडियाखन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
आपराधिक इतिहास:- मुकदमा उपरोक्त
गिरफ्तारी करने वाली टीम –
उ0नि0 नन्दलाल प्रसाद मय हमराह का0 मुकेश चौधरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

प्रेस-विज्ञप्ति

फरवरी माह 2024 में हुए कार्यों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ थाना प्रभारी किए गए सम्मानित

अंतिम तीन रैंक पाने वाले थाना प्रभारियों को दी गयी चेतावनी व 30 दिवस में रैंक में सुधार लाने के लिए दिये गये निर्देश

- ➡थाना मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा की गई। यह प्रणाली में कुल 30 बिंदुओं का समावेश करते हुए कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर थानों की रैंकिंग देने के लिए विकसित की गई है।
- ➡इसमें प्रार्थना पत्र, IGRS, FIR पंजीकरण, घटना अनावरण, अपराधियों की गिरफ्तारी, वारंटी गिरफ्तारी, त्रिनेत्र एप्प में अपराधी का डाटा फीड करना, गुंडा एक्ट में कार्यवाही इत्यादि के धनात्मक अंक एवं आम जन से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार की शिकायत, अपराधी के फरार रहने, समन तामील न करने इत्यादि के ऋणात्मक अंक दिए गए हैं।
- ➡सभी 30 बिंदुओं पर जिस थाने को माह में सर्वाधिक अंक प्राप्त होते हैं वह माह का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया जाता है।

माह फरवरी 2024 के विजेता

प्रथम स्थान:- थाना प्रभारी शशिचन्द्र चौधरी व समस्त पुलिसकर्मी थाना फूलपुर

द्वितीय स्थान:- थाना प्रभारी सच्चिदानन्द यादव व समस्त पुलिसकर्मी थाना निजामाबाद

तृतीय स्थान:- थाना प्रभारी यादवेन्द्र पाण्डेय व समस्त पुलिसकर्मी थाना सरायमीर

- ➡उपरोक्त सभी को पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रॉफी के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अंतिम 03 स्थान पर रहे थाना कंधरापुर, तहबरपुर व रौनापार के थाना प्रभारियों को चेतावनी के साथ 30 दिवस के अन्दर सुधार हेतु निर्देशित किया गया।